VACANCY NOTICE NO. 23/2023 (R)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

ISSUED ON 22/03/2023

GENERAL MANAGERS
ALL RAILWAYS/NEW ZONES/PRODUCTION UNITS

DIRECTOR GENERAL'S/DIRECTORS
ALL RAILWAY TRAINING INSTITUTES

NO: 2021/E(O)II/8/5

VACANCY NOTICE NO. 23/2023 (R)
REFERENCE VACANCY NOTICE NO(s). 06/2022 dated 03/02/2022 & 40/2022 (R) dated 27/07/2022

ORGANIZATION	:	COMMISSION OF RAILWAY SAFETY (CRS), MINISTRY OF CIVIL AVIATION
TITLE & NO.OF POSTS	:	DY. COMMISSIONER OF RAILWAY SAFETY(TECH)- 01 POST
STREAM	:	ELECTRIC TRACTION (IRSEE)
LOCATION, DURATION, TERM OF APPOINTMENT, AGE, SCALE OF PAY, SPECIFIC REQUREMENTS ETC.	:	AS PER ANNEXURE
WEB ADDRESS	:	www.indianrailways.gov.in\railwayboard, then click for IR personnel and then vacancy circulars
CLOSING DATE	:	60 DAYS FROM DATE OF ISSUE APPLICATION MAY ALSO BE SENT BY EMAIL TO: usd@rb.railnet.gov.in

---

SEND NAMES OF VOLUNTEERS WITH BIO-DATA IN THE PRESCRIBED PROFORMA DULY SIGNED BY THE APPLICANT VIGILANCE/DAR CLEARANCE AND CRS TO E(O)II/RAILWAY BOARD. ADVISE ALL ELIGIBLE SC/ST OFFICERS ALSO (.) RAILWAYS(.)

DA: ANNEXURE

ROSHAN KUMARI MEENA
UNDER SECRETARY/D/RAILWAY BOARD

NO: 2021/E(O)II/8/5 **New Delhi. Dated 22/03/2023**

Copy to:-

1. General Managers, Central, Eastern, Northern, North Eastern, North East Frontier, Southern, South Central, South Eastern, Western Railways, Metro Rail, Kolkata, N.W. Railway, Jaipur, E.C. Railway, Hajipur, North Central Railway/Allahabad, South Western Railway/Bangalore, East Coast Railway/Bhubaneswar, West Central Railway/Jabalpur, SEC Rly., Bilaspur.
2. General Managers, CLW/Chittaranjan, BLW/Varanasi, ICF/Perambur, RCF/Kapurthala, W&AP/Bangalore and RE. Allahabad.
3. DG/RDSO, Lucknow and IRCAMTECH, Area Officer, Maharajpur, Gwalior.
4. CAO(R)s, COFMOW/New Delhi, PLW/Patiala, MTP(R), Mumbai, Delhi and Chennai.
5. DG/RSC, Vadodara/Directors, IRIMEE, Jamalpur/IRICEN, Pune and IRISET, Secundrabad/IRIEE, P.B. No. 33, Nasik Road, Maharashtra, Director, Indian Railways Institue of Transport Management (IRITM), Hardoi Bypass Road, P.O. Manak Nagar, Lucknow-226011.
6. All officers/Railway Board (by email).
7. G. Branch for display on Notice Board.
8. Secy. General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhavan
9. Secy. General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan.
10. Secy. General, IRCA, DRM's Ofice, Accounts Bldg., Chelmsford Rd. New Delhi.
11. Secretary/M/o Civil Aviation,Ministry of Civil Aviation,Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport,New Delhi,110003
12. Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR and APS/MR, PS/MOSR(D),PS/MOSR(J), JS(CP), JS(G), JS(E), US(C), ERB-I and E(O)I Branches, Railway Board.
13. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow ,Adviser (Safety)/Railway Board.
14. Dy. Director General (Rail Move), Milrail, Addl. Dte General of Movement, Integrated HQs of MoD(Army) Room No-514 B, D-1 Wing, Sena Bhawan New Delhi-110011

ROSHAN KUMARI MEENA
UNDER SECRETARY/D/RAILWAY BOARD

2021/8/5

① R.No. 141247
② R.No. 1412487 (Sandeep ji)
③ R.No. 1412 497 (ASM)

No. A.12034/01/2019-RS
Government of India
Ministry of Civil Aviation
*****

B-Block, Rajiv Gandhi Bhawan,
Safdarjung Airport, Aurobindo Marg,
New Delhi-110003
Dated:16.03.2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Filling up of the posts of Deputy Commissioner of Railway Safety/General, Deputy Commissioner of Railway Safety, Technical (Dy. CRS/Tech) & Deputy Commissioner of Metro Railway Safety (Dy. CMRS) in the circle offices of the Commission of Railway Safety, Ministry of Civil Aviation on deputation basis.

The undersigned is directed to refer to the above subject and to say that 01 post of Deputy Commissioner of Railway Safety/General (Dy.CRS(G)), 02 posts of Deputy Commissioner of Railway Safety/Technical (01 in Electric Traction Stream and 01 in S&T stream (Dy. CRS/Tech/ET & DyCRS/Tech/S&T)) & one (01) post of Deputy Commissioner of Metro Railway Safety (Dy. CMRS) are vacant/will fall vacant in the Commission of Railway Safety, Ministry of Civil Aviation.

2. The details of the above posts are as follows:-

S. No.	Post	Stream	Remarks
1	Dy.CRS(General) Technical Wing-CCRS HQ, New Delhi	Civil (IRSE)	The post will fall vacant on account of expiring of tenure of tenure of present incumbent on 13.07.2023.
2	Dy. CRS (Tech), CRS/Western Circle/Mumbai	Signaling &Telecommunication (IRSSE)	The post will fall vacant on account of expiring of tenure of tenure of present incumbent on 04.05.2023.
3	Dy. CRS (Tech), Technical Wing-CCRS HQ, New Delhi	Electric Traction (IRSEE)	The vacancy was circulated vide circular no. No.40/2022 dated-27.07.2022. However, the selected candidate did not join and submitted his unwillingness
4	Dy. CMRS, Commissioner of Metro Railway Safety, New Delhi	Any Stream	The vacancy was circulated vide circular no. No.41/2022 dated-27.07.2022. However, the candidature forwarded by Railway Board does not meet the requisite eligibility criteria.

Rohit 20/3
Same ASM

3. As per recruitment rules (RRs), the post of Dy. CRS (Tech.) & Dy. CMRS is in Level 13 of the Pay Matrix, (erstwhile Pay Band-4 with Grade Pay- Rs.8700/- as per 6th CPC). The post is to be filled up on deputation basis, from officers of the Indian Railways from respective disciplines (as mentioned against the posts in para 2 above), holding analogous post on regular basis or with 5 years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 of the Pay Matrix [Pay Band-3 of Rs.15600-39100/- (pre-revised) and Grade Pay of Rs.7600/- or equivalent as per 6th CPC] in the parent cadre or department. The period of deputation shall ordinarily not exceed five years & the maximum age limit for considering appointment on deputation is 56 years. Additionally the RRs of **Dy.CMRS also require that the applicants must possess a minimum ten years experience** in a Government Organization in the related subject of duty including **at least one year experience of working in a Metro Railway Organization.** MoR is required to ensure that only those applications are forwarded wherein the candidates posses the necessary qualifications. (Copies of RR is enclosed).

4. The place of posting for Dy.CRS(General) & Dy. CRS (Tech in ET Stream), at CCRS HQ Office will be New Delhi.

5. The terms & conditions during the deputation period shall be the same as applicable to other railway officers joining on deputation to other Ministries/Departments. The officer(s) applying for the post will not be eligible to withdraw the application later.

6. Ministry of Railways (Railway Board) is therefore requested to circulate the above vacancies of Dy. CRS (Tech.) & Dy. CMRS in the Commission of Railway Safety, Ministry of Civil Aviation and to forward the particulars of willing and eligible officers along with necessary documents viz. Bio-data, Annual Confidential Reports of last five years (each page attested), Vigilance Clearance and Integrity Certificate etc. to this Ministry at an early date.

(Amit Kumar Jha)
Under Secretary to Govt. of India
Tele: 011-24610361

Enclosure: As Above.

To

Ministry of Railways,
Railway Board,
[Smt. R K Meena, US(D)]
Rail Bhawan,
New Delhi.

R.R. of Dy. CRS

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, जून 3—जून 9, 2012, शनिवार/ज्येष्ठ 13—ज्येष्ठ 19, 1934

No. 23] NEW DELHI, JUNE 3—JUNE 9, 2012, SATURDAY/JYAISTHA 13—JYAISTHA 19, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल निरीक्षणालय सेवा [रेल संरक्षा उपायुक्त (साधारण) और रेल संरक्षा उपायुक्त (तकनीकी)] भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय की रेल निरीक्षणालय सेवा में रेल संरक्षा उपायुक्त (साधारण) और रेल संरक्षा उपायुक्त (तकनीकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल निरीक्षणालय सेवा [रेल संरक्षा उपायुक्त (साधारण) और रेल संरक्षा उपायुक्त (तकनीकी)] भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रेल संरक्षा उपायुक्त (साधारण)	1*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, (37400—67000 ₹) ग्रेड वेतन 8700 ₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के ऐसे अधिकारी : (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-3, 15600—39100 ₹. + ग्रेड वेतन 7600 ₹ या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

(11)
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. रेल संरक्षा उपायुक्त (तकनीकी)@ @(क) संकेतन और दूर संचार-6 (ख) सिविल इंजीनियरिंग-3 (ग) विद्युत कर्षण-1 (घ) यांत्रिक-1 (ङ) प्रचालन-1	13*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-4, (37400—67000 ₹) ग्रेड वेतन 8700 ₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के सिविल इंजीनियरिंग या संकेतन और दूर संचार या विद्युतकर्षण या यांत्रिक या प्रचालन विभाग के ऐसे अधिकारी :— (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-3, 15600—39100 ₹. + ग्रेड वेतन 7600 ₹ या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

(11)
टिप्पण 1 : विभिन्न विधा में पद को केवल संबंधित विभाग के अधिकारियों से भरा जाएगा ।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/02/10-आर एस]

ओमा नन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 29th May, 2012

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession the Railway Inspectorate Service [Deputy Commoissioner of Railway Safety (General) and Deputy Commoissioner of ilway Safety (Technical)] Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such persession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy ommoissioner of Railway Safety (General) and Deputy Commoissioner of Railway Safety (Technical) in the Railway spectorate Service in the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Railway Inspectorate Service [Deputy ommoissioner of Railway Safety (General) and Deputy Commoissioner of Railway Safety (Technical)] Recruitment Rules,)12.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their assification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the hedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.— The method of recruitment, age limit and other ialifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid hedule.

4. Disqualifications. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

all be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of person or posts.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Commissioner of Railway Safety (General)	1* (2012) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	PB-4, (Rs. 37400—67000) Grade pay Rs. 8700	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By deputation-	**Deputation :** Officers of Indian Railways Service of Engineers :— (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 and Grade Pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum

1893 GI/12-2

	(11)
	age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2** : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Commissioner of Railway Safety (Technical)@ @ (a) Signaling and Telecommunication-6 (b) Civil Engineering-3 (c) Electric Traction-2 (d) Mechanical-1 (e) Operating-1	13* (2012) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	PB-4, (Rs. 37400—67000) with Grade pay Rs. 8700	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By deputation	**Deputation :** Officers of the Indian Railways from the Civil Engineering or Signaling and Telecommunication or Electric Traction or Mechanical or Operating Departments :— (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 and Grade Pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre or department.

	(11)
	Note 1 : Posts in different disciplines shall be filled from amongst officers of the concerned departments only. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/02/10-RS]

OMA NAND, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

सा.का.नि. 137.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) में कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

Dy. CMRS

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09112021-230980
CG-DL-W-09112021-230980

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, अक्तूबर 31 - नवम्बर 6, 2021, शनिवार/ कार्तिक 9- कार्तिक 15, 1943

No. 37] NEW DELHI, OCTOBER 31 - NOVEMBER 6, 2021, SATURDAY/ KARTIKA 9 - KARTIKA 15, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

सा.का.नि.128.—राष्ट्रपति, अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग में उप मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का नाम मेट्रो रेल संरक्षा उपायुक्त भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल .**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद के बाबत, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मेट्रो रेल संरक्षा उपायुक्त	01 (2021) * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित ग्रुप ए अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (रू 123100-215900)	लागू नहीं होता	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए पदोन्नति वालों के आवेदन देने के मामले में निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हता	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जानें वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा, भारतीय रेलवे याँत्रिक इंजीनियर्स सेवा, भारतीय रेलवे विद्रयुत इंजीनियर्स सेवा, भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियर्स सेवा, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी: (क) (1) पैतृक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना: या (2) ग्रेड में नियुक्ति के बाद लेवल 12 (रु. 78800-209200) में 5 वर्ष की नियमित सेवा या पैतृक संवर्ग या विभाग में समकक्ष : तथा (ख) संबंधित विषय में सरकारी संगठन में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव के साथ मेट्रो रेल संगठन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो : **नोट** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाहय कॉडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-75/3/2018-आर.एस.]

अमित कुमार झा, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 2nd November, 2021

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner of Metro Railway Safety in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Deputy Commissioner of Metro Railway Safety Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Commissioner of Metro Railway Safety	01 (2021)* * Subject to variation dependent on workload	**General Central Service,** Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix	Not Applicable	Not Applicable

Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of Probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Indian Railway Service of Engineers, Indian Railway Service of Mechanical Engineers, Indian Railway Service of Electrical Engineers, Indian Railway Service of Signal Engineers and Indian Railway Traffic Service:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12	Not Applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not Necessary.

(Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing minimum ten years experience in a Government Organisation in the related subject of duty including at least one year experience of working in a Metro Railway organisation. **Note**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications		

[F.No. A-75/3/2018-RS]

AMIT KUMAR JHA, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि.129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन निदेशक भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने के लोप किया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, (निदेशक) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरणऔर वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है